साय कैबिनेट में...

लिए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र में उसका बैकग्राउंड और समाजसेवा में किए गए कामों की जानकारी मांगी है। राज्य शासन से भी दिशा निर्देश मांगा गया है।

यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन-कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों की संख्या 13 से बढ़ाकर 14 करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र से 13 से 14 मंत्री करने की अनुमति मिल गई है। अगर अनुमति है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अनुमति नहीं है तो 14 लोगों का मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। भूपेश बघेल की ओर से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में 15 प्रतिशत सदस्य के नियम की वजह से 13 मंत्री ही बनाए जा सकते थे। कांग्रेस सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने की मांग की गई थी। 28 दिसंबर 2018 में केंद्र को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई थी। विधानसभा में पारित होने के बावजूद केंद्र ने अनुमति नहीं दी थी।

राज्य की राजनीति के...

सिंह सैनी समेत कुल 14 मंत्री हैं। अब इसी तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में पहली बार है, 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना।